बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को बैंकिंग नीतियों की स्पष्ट व्याख्या के अतिरिक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निहित उपबंधों के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों के विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य रूप से इसका कार्य बैंकों की स्थापना से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम के तमाम उपबंधों, जैसे, लाइसेंसीकरण, शाखा विस्तार, सांविधिक चलनिधि बनाए रखना, प्रबंधन और परिचालन, बैंकिंग कंपनियों का समामेलन, पुनर्निर्माण तथा परिसमापन और पूंजी पर्याप्तता, निवेश तथा ऋण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर दिशानिर्देश जारी करना है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग ने लचीली संगठनात्मक व्यवस्था अपनायी है तथा अपनी गतिविधियां समय के साथ बदली हैं।

2. विभाग के विभिन्न प्रभागों और उनके प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है:

धन-शोधन निवारण प्रभाग

(i) सतत आधार पर धन-शोधन निवारण (एएमएल) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और संहिताओं का अध्ययन, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) द्वारा धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध पर निर्धारित किए गए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक तथा वैधानिक मानकों की तुलना में भारत की स्थिति का आकलन।

(ii) 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध (सीएफटी) पर बैंकों को जारी किए गए दिशानिर्देशों की समीक्षा।

नियुक्ति प्रभाग

(i) वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा उनके निदेशक मंडल के सदस्यों/निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ii) गांगुली समिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशकों/शेयरधारकों के संबंध में जारी किए गए 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंडों का कार्यान्वयन।

शाखा लाइसेंसीकरण प्रभाग

देश भर में शाखाएं खोलने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों को छोड़कर) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को प्राधिकार जारी करना।

बैंकिंग नीति प्रभाग

(i) अग्रिम संविभाग से संबंधित पूंजी पर्याप्तता, आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी नीति निर्धारण तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी करना; निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन तथा ऋण एक्सपोज़र सीमाएं; आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को अनर्जक आस्तियों की बिक्री-खरीद संबंधी नीति; कार्पोरेट ऋण पुनर्रचना सहित अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी नीति।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी संरचना संबंधी नीति निर्धारण, जिसमें नई इक्विटी जुटाना, पूंजी लौटाना, पुनर्पूंजीकरण शामिल हैं और उनसे जुड़े मुद्दे।

(iii) नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन तथा नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बासल II) के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश विकसित करना।

(iv) आस्ति-देयता प्रबंधन सहित एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों पर नीतिगत दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण तथा उसके विविध आयामों पर मार्गदर्शी नोट जारी करना।

कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी प्रभाग

विभाग के सक्षम कामकाज के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने की दृष्टि से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर लाइसेंसों सहित सॉफ्टवेयर की खरीद।

निदेश प्रभाग

निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित दिशानिर्देश जारी करना :

(i) घरेलू तथा एनआरआइ जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
(ii) अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज दरें
(iii) बैंकों द्वारा लगाए जानेवाले सेवा प्रभार
(iv) बैंकों का पूंजी बाज़ार में ऋण एक्सपोज़र
(v) बैंकों द्वारा गारंटी कारोबार का संचालन

निदेश (निर्यात ऋण)/(आवास वित्त) प्रभाग

(i) निर्यात ऋण योजनाओं (रुपये ओर विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व तथा लदान के बाद ऋण) के परिचालन के संबंध में बैंकों को अनुदेश जारी करना तथा बैंक की मौजूदा नीतियों के अनुसार निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की सीमा निर्धारित करना तथा नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित करना।

(ii) भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता योजना को लागू करना और बैंकों से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई करना।

चूककर्ता सूची प्रभाग

(i) 'संदिग्ध' अथवा 'हानि' (गैर-वाद दाखिल खाते) के रूप में वर्गीकृत 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल बकाया राशि वाले चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में छमाही आधार पर अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार बैंकों तथा अधिसूचित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त करना तथा उन्हें इस संबंध में सूचित करना।

(ii) 25 लाख और उससे अधिक की कुल बकाया राशि के इरादतन चूक के मामलों (गैर-वाद दाखिल खाते) में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त करना तथा उन्हें सूचित करना।

वित्तीय सेवाएं प्रभाग

बैंकों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अथवा अपने विभागों के ज़रिए नए तथा लाभप्रद कारोबार के अवसर तलाशने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली परा-बैंकिंग गतिविधियों/वित्तीय सेवाओं के संबंध में नीति तैयार करना।

वित्तीय संस्था प्रभाग

(i) चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एक्ज़िम बैंक, आइआइबीआई लि., नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी) का विनियमन।

(ii) एनएचबी और सिडबी के विनियामक/पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण।

(iii) संसाधन जुटाना औरवित्तीय संस्थाओं के स्रोतों और अभिनियोजन की निगरानी।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग

(i) भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश और विस्तार से संबंधित नीति निर्धारण तथा तत्संबंधी विनियामक मुद्दे और विदेशों में कारोबार करने वाले भारतीय बैंकों के संबंध में प्रस्तावों की जांच करना तथा अनुमोदन प्रदान करना।

(ii) ओवरसीज़ बैंकिंग यूनिट स्थापित करने हेतु अनुमोदन देना तथा उनके परिचालन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना।

सूचना प्रभाग

सूचना के आवागमन के लिए और बैंकों के अन्य विभागों तथा अनेक क्षेत्रों के साथ संपर्क करने हेतु केंद्रीय स्थल।

जेपीसी कक्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के साथ समग्र रूप से समन्वय सुनिश्चित करना तथा सूचना इकट्ठा करने, जेपीसी के सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के लिए उचित प्रत्युत्तर तैयार करने तथा इससे संबंधित मामलों/मुद्दों पर आवश्यक दिशानिर्देश/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से संपर्क करने हेतु केंद्रीय स्थल के रूप में कार्य करना।

विधान प्रभाग

(i) यह प्रभाग बैंकिंग से संबंधित विविध कानूनों अर्थात् बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम 1959, डीआरटी अधिनियम 1993 तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में किए जाने वाले संशोधनों से संबंधित विभिन्न वैधानिक मामलों से संबंधित कार्य देखता है।

(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ग्राहक सेवा पर अनुदेश /दिशानिर्देश /परिपत्र जारी करना।

संसद कक्ष

यह कक्ष बैंकिंग से संबंधित मामलों आदि पर संसद के माननीय सदस्यों द्वारा संसद में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभाग में तथा विभाग के बाहर समन्वयन का कार्य करता है।

निजी क्षेत्र बैंक प्रभाग

यह प्रभाग निजी क्षेत्र में देशी वाणिज्य बैंकों से संबंधित विविध मामलों पर तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना, कार्यान्वयन, परिचालन तथा समापन से संबंधित कार्य करता है।

पुनर्निर्माण प्रभाग

यह प्रभाग अंतरिती बैंकों द्वारा समामेलन की योजना के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति तथा परिसमापनाधीन बैंकों के परिसमापन संबंधी कार्यवाही में की गई प्रगति की निगरानी करता है। यह प्रभाग विलयन के बाद की

समस्याओं, जैसे अंतरणकर्ता बैंकों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करता है।

विवरणी प्रभाग

यह प्रभाग भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अपेक्षित सीआरआर तथा एसएलआर को बनाए रखने के संबंध में बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से संबंधित कार्य देखता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाग

यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से संबंधित मामलों पर प्राप्त प्रश्नों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय स्थल है तथा सूचना की सामयिक तथा समुचित प्रस्तुति सुनिश्चित करता है।

राजभाषा प्रभाग

यह प्रभाग विभाग में तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने कार्य देखता है । इस प्रभाग पर राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व है।